भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3623

17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत

विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना

इलेक्ट्रिक कार

3623. श्री आदित्य यादव :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अनेक कार क्रेता, जो इलेक्ट्रिक वाहन की जीवन-अवधि में स्वामित्व की कम लागत के कारण इलेक्ट्रिक कार खरीदने के प्रति सकारात्मक हैं वे भी इसे नहीं खरीदते हैं और इसके बजाय पेट्रोल या डीजल मॉडल खरीदना पंसद करते हैं क्योंकि आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाले वाहन अपने वैद्युत प्रतिरूप की तुलना में काफी सस्ती कीमत के होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में उठाए जाने वाले प्रस्तावित निवारक कदमों का ब्यौरा क्या है क्योंकि ईवी चार्जिंग अवसंरचना की कमी, रेंज की चिंता, समग्र यात्रा अवधि को प्रभावित करने वाले काफी लंबे चार्जिंग समय आदि जैसे कारक ईवी-वाहन खरीदारों या संभावित इलेक्ट्रिक कार खरीदारों के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग) : इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक अंगीकरण के समक्ष मौजूद चुनौतियां मुख्यतः ये हैं कि संगत अंतर्दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की अपफ्रंट लागत अधिक है और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपभोक्ताओं में रेंज संबंधी चिंता है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना और रेंज संबंधी चिंता सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण संबंधी मौजूद चुनौतियों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

i. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम, चरण-II:** सरकार ने इस स्कीम को कुल 11,500 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल,2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू किया। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-चौपहिया वाहनों, ई-बसों और ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया।

ii. **भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई-ऑटो) स्कीम:** सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इस स्कीम को

23 सितंबर 2021 को अधिसूचित किया। इस स्कीम में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य-श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण संबंधी पीएलआई स्कीम:** सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंज़ूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य एसीसी बैटरी के 50 गीगा वाट घंटे के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करना है।

iv. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम:** ₹10,900 करोड़ के परिव्यय वाली इस स्कीम को 29 सितंबर, 2024 को दो वर्ष के लिए अधिसूचित किया गया। 01 अप्रैल,2024 से 30 सितंबर,2024 की छह माह की अवधि के लिए कार्यान्वित इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम (ईएमपीएस)-2024 को पीएम ई-ड्राइव स्कीम में मिला दिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और वाहन परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है।

v. **पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम:** 28 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) से चूक की स्थिति में, ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

vi. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम** को भारत में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये 15 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम ₹4,150 करोड़ का निवेश करना होगा और तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25% का डीवीए और पांचवें वर्ष के अंत तक 50% का डीवीए प्राप्त करना होगा।

अन्य मंत्रालयों द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित पहलें शामिल हैं :

i. विद्युत मंत्रालय ने 17 सितंबर, 2024 को "गाइडलाइंस फॉर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर-2024" नाम से दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं। ये संशोधित दिशानिर्देश देश में एक सुसंबद्ध और अंतर-प्रचालनीय ईवी चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। ये दिशानिर्देश इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली कनेक्शन की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

ii. वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरी प्लेट दी जाएगी और परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

iv. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग उप-नियमों में संशोधन कर निजी और वाणिज्यिक भवनों में चार्जिंग स्टेशनों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है।

*****